भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3111

गुरूवार, 27 मार्च, 2025/06 चैत्र, 1947, (शक)

ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण की संख्या

3111. श्री नीरज डांगीः

श्रीमती रंजीत रंजनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कुल संख्या का राज्य-वार, लिंग-वार और व्यावसायिक श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कितने पंजीकृत श्रमिक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच में सुधार के लिए ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का आकलन करवाया है, और यदि हाँ, तो इन आकलनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 100 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 23 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पर 30.73 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा (50.73%) महिलाएं हैं।

राज्य-वार, लिंग-वार और व्यावसायिक श्रेणी-वार पंजीकरण का ब्यौरा क्रमश: अनुबंध I, अनुबंध II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

बजट घोषणा के विजन के अनुसार, असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण आवश्यक है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और अब तक ई-श्रम के माध्यम से प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

...जारी पृष्ठ2/-

अब तक, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाएं पहले ही एकीकृत/ मैप की गईं हैं, जिनमें प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन/प्रभाव मूल्यांकन किया गया है।

मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करने और असंगठित कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन।
ii. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।
iii. रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एन सीएस) और कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
iv. पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन सुसाध्य बनाने के लिए, ई-श्रम को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
v. सरकारी योजनाओं का वन-स्टॉप जानकारी (सर्च और डिस्कवरी) प्रदान करने के लिए ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
vi. जागरूकता बढ़ाने के लिए एसएमएस अभियान।
vii. ई-श्रम पर पंजीकरण करने हेतु कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के लिए सहायता प्राप्त मोड पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाएं चालू की गई थी।
viii. ई-श्रम को न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग ऐप) आरंभ किया गया है, ताकि कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल में पंजीकरण/अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जा सके।
ix. ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी 2025 को ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता की शुरुआत की, जिसमें भाषिनी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। यह संवर्धन अब कामगारों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करने की सुविधा देता है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
x. असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और इससे संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय में पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच और उपयोगकर्ता की सुविधा दोनों में काफी बढ़ोतरी होती है।

*** ******

अनुबंध I

"ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण की संख्या" पर श्री नीरज डांगी और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3111 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 23 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कुल पंजीकरण
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33,085
2	आंध्र प्रदेश	83,44,403
3	अरुणाचल प्रदेश	2,04,987
4	असम	76,35,682
5	बिहार	2,98,26,750
6	चंडीगढ़	1,86,504
7	छत्तीसगढ़	85,55,759
8	दिल्ली	35,31,874
9	गोवा	77,907
10	गुजरात	1,19,67,347
11	हरियाणा	53,77,958
12	हिमाचल प्रदेश	19,90,770
13	जम्मू और कश्मीर	35,78,863
14	झारखण्ड	96,44,758
15	कर्नाटक	1,07,34,841
16	केरल	60,28,554
17	लद्दाख	33,994
18	लक्षद्वीप	2,819
19	मध्य प्रदेश	1,87,05,240
20	महाराष्ट्र	1,76,05,903
21	मणिपुर	4,56,324
22	मेघालय	3,33,195
23	मिजोरम	65,284
24	नागालैन्ड	2,34,954
25	ओडिशा	1,35,72,023
26	पुदुचेरी	1,91,451
27	पंजाब	58,07,015
28	राजस्थान	1,46,20,022
29	सिक्किम	42,989
30	तमिलनाडु	91,06,543
31	तेलंगाना	44,89,343
32	दादरा नगर हवेली व दमन और दीव	74,842
33	त्रिपुरा	8,90,278
34	उत्तर प्रदेश	8,38,43,449
35	उत्तराखंड	30,68,392
36	पश्चिम बंगाल	2,64,45,491
	कुल	**30,73,09,593**

अनुबंध II

"ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण की संख्या" पर श्री नीरज डांगी और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3111 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 23 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की लिंग-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**लिंग**	**पंजीकरण**
1	महिलाएं	16,50,36,836
2	पुरुष	14,22,65,318
3	अन्य	7,439
	कुल	**30,73,09,593**

अनुबंध III

"ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण की संख्या" पर श्री नीरज डांगी और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3111 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 23 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की व्यवसाय-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	व्यवसाय क्षेत्र	पंजीकरणों की संख्या
1	कृषि	16,00,99,572
2	परिधान	2,00,75,809
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	82,20,265
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा	44,590
5	सौंदर्य और वेलनेस	20,56,350
6	पूंजी वस्तुएँ और विनिर्माण	64,27,016
7	सन्निर्माण	2,77,80,873
8	घरेलू और पारिवारिक कामगार	2,89,26,407
9	शिक्षा	51,65,235
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	49,91,440
11	खाद्य उद्योग	14,23,562
12	रत्न और आभूषण	10,14,437
13	कांच और सिरेमिक	2,86,805
14	हस्तशिल्प और कालीन	23,22,682
15	स्वास्थ्य देखभाल	34,33,149
16	चमड़ा उद्योग कार्य	60,74,105
17	खनन	4,49,335
18	विविध	1,37,17,455
19	संगीत उपकरण	1,10,212
20	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	29,20,685
21	संगठित खुदरा	87,770
22	प्रिंटिंग	4,95,423
23	निजी सुरक्षा	4,53,007
24	पेशेवर	8,13,602
25	खुदरा	23,45,280
26	सेवा	2,93,809
27	कपड़ा और हथकरघा	2,04,322
28	तंबाकू उद्योग	26,93,734
29	पर्यटन और आतिथ्य	41,78,855
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	2,03,807
	कुल	**30,73,09,593**

*****